प्रेस नोट
दिनांक 15.09.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–266/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमर गौतम पुत्र रमेश गौतम नि0 मुगलपुरा हैदरगंज थाना को0 नगर जनपद अयोध्या को टिकरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.08.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की समान लेने हेतु मार्केट गयी थी जो अभी तक वापस घर नही लौटी है। वादिनी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 उमेश सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त रमेश गौतम को टिकरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अमर गौतम पुत्र रमेश गौतम नि0 मुगलपुरा हैदरगंज थाना को0 नगर जनपद अयोध्या

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–266/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उमेश सिंह।
02. हेड का0 दिलीप कुमार।
03. का0 धीरज कुमार वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 15.09.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 04 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 04 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया साथ ही 02 प्रकरणों में विधिक कार्यवाही की गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण–

श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि कुमार भारती, श्री यशोदा नन्दन त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, म0आ0 ज्योति राजभर व म0का0 शाहिना बानों।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.09.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–430/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल पुत्र मगते नि0 रामापुर रामलालपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को तरबगंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 14.09.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी अनिल पुत्र मगते बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 शुभम दूबे द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त अनिल को तरबगंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. अनिल पुत्र मगते नि0 रामापुर रामलालपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–430/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 शुभम दूबे।
02. का0 अंकित राय।
03. का0 शिवम यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 15.09.2024</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा लोक सेवक के कार्यों में बाधा डालने व उसके साथ मार पीट करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाही–</u>
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–354/24, धारा 147,149,332,353,504,506,327 भादवि व 3(2)ट एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त श्रीराम वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा नि0 सिसउर अन्दूपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को सिसउर अन्दूपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 24.05.2024 को वादी विजय कुमार(ग्राम पंचायत अधिकारी वि0ख0 पण्डरी कृपाल) द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि मल्लारी के प्रधान द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर विकास खण्ड कार्यालय में आकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ गाली–गुप्ता देते हुए मार–पीट की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त श्रीराम वर्मा को आज दिनांक 15.09.2024 को चौकी प्रभारी सालपुर द्वारा सिसउर अन्दूपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. श्रीराम वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा नि0 सिसउर अन्दूपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–354/24, धारा 147,149,332,353,504,506,327 भादवि व 3(2)ट एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र थाना को0 देहात।
02. का0 नरेन्द्र यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>